संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक एफ : 01–23 / 2017 / विज्ञप्त / 166 रायपुर, दिनांक : 25/01 / 2018

::–आदेश–::

छत्तीसगढ़ चिकित्सा प्रवेश नियम के प्रावधान के अनुक्रम में संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ से कार्यालय अधि संचालक, चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्र. 9782 / छात्र / संचिशि / 18, दिनांक 09.08.2018, पत्र दिनांक क्र. 14294 / छात्र / संचिशि / 18, दिनांक 10.12.2018, एवं पत्र क्र. 875 / छात्र / संचिशि / 18, दिनांक 13.01.2019 के माध्यम से प्राप्त सूची के अनुसार एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र चिकित्सकों को उनके द्वारा एमबीबीएस प्रवेश के समय निष्पादित अनुबंध अनुसार दो वर्ष की संविदा सेवा का अवसर प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर संविदा आधार पर आगामी आदेश तक पदस्थ की जाती है:–

क्र.	छात्र का नाम	पिता / पति का नाम	पता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	ऐमन वसीम	श्री अब्दूल वसीम	36 / 553, बैरन बाजार, फव्वारा चौक, रायपुर	सिविल अस्पताल सुपेला जिला दुर्ग
2	अंकिता झडी	श्री रूप कुमार झडी	III/TS/50-G नियर फुटबाल ग्राउंड, किरन्दुल, जिला दंतेवाड़ा, छ.ग.	सिविल अस्पताल सुपेला जिला दुर्ग
3	प्रवीण किन्डो	श्री स्तानिस किन्डो	ग्राम–पंडरीपानी, तह.–कांसाबेल, पोस्ट–नकबर, जिला जशपुर	सामु. स्वा. केन्द्र पाटन जिला दुर्ग

संविदा नियुक्ति की शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।
2. छ.ग. शासन के संविदा भर्ती नियम (छ.ग. सिविल सेवा) संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अंतर्गत नियुक्ति किया जावेगा।
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।

Scanned by CamScanner

4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–11 (5) लागू नहीं होगी।
5. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
6. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 201/एफ 2017–17–01012/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी हेतु सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 45,000/– अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 55,000/– देय होगी।
7. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
9. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारियों को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना–जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
11. उपस्थिति के 15 दिवस के अंदर जिले के मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. पदस्थापना आदेश जारी उपरांत पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
13. नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के उपरांत पदस्थपना स्थान में संशोधन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी चिकित्सा अधिकारी पदस्थपना स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।
14. संबंधित अनुबंधित छात्र चिकित्सक द्वारा पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की संविदा सेवा अनिवार्य रूप पूर्ण किया जाना है।
15. संबंधित अनुबंधित छात्र चिकित्सक द्वारा आदेश के पालन में निर्धारित समय सीमा में पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत दो वर्ष का सेवा–काल पूर्ण नहीं करने अथवा कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित द्वारा निष्पादित अनुबंध की राशि की वसूली भू–राजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूली योग्य होगी। साथ ही मेडिकल कौंसिल से पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

25/1

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner

पृ0क्रमांक एफ : 01–23/2017/विज्ञप्त/167 रायपुर, दिनांक : 25/01/2018

<u>प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला रायपुर।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग रायपुर छत्तीसगढ़।
4. कलेक्टर, दुर्ग छ.ग.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग छ.ग़.।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला दुर्ग, छ.ग.।
7. कोषालय अधिकारी दुर्ग छ.ग़.।
8. संबंधित अनुबंधित चिकित्सक...छ.ग.।
9. संचालक, एनआईसी छ.ग. की ओर छ.ग. की ओर विभागीय वेबसाईड <u>*www.cghealth.nic.in*</u> पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
10. श्री सी.सी. संतोष, कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर–27, अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग. की ओर आदेश विभागीय वेबसाईड <u>*www.cghealth.nic.in*</u> पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
11. आदेश फाईल।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner